कार्यालय, आयुक्त अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश

35-राजीव गाँधी भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल (म. प्र.)-462001
E-mail:cscd.bhopal@mp.gov.in/jd.scdhobpl@mp.gov.in

क्रमांक/शिक्षा-2/ज्ञानोदय/2021-22/न.क्र.166/ 150 भोपाल, दिनांक 08/04/2021

प्रति,

समस्त प्राचार्य,
शासकीय आवासीय ज्ञानोदय विद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषय:-विभागीय आवासीय विद्यालयों में CBSE(Central Board Of Secondary Education) पाठ्यक्रम लागू करने हेतु संबद्धता(affiliation) प्राप्त करने के संबंध में।

--00--

विषयांतर्गत लेख है कि, विभागीय आवासीय ज्ञानोदय विद्यालयों में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल पाठ्यक्रम लागू करने हेतु संबद्धता प्राप्त करने के संबंध में शासन द्वारा सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। अतः केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल से संपर्क कर संबद्धता प्राप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा प्रतिवेदन शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध करावें ताकि अगले सत्र से CBSE(Central Board Of Secondary Education) पाठ्यक्रम में अध्यापन प्रारम्भ किया जा सके।

आयुक्त
अनुसूचित जाति विकास
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन प्रतिलिपि:-

क्रमांक/शिक्षा-2/ज्ञानोदय/2021-22/न.क्र.166/ 151 भोपाल, दिनांक 08/04/2021

1. कलेक्टर जिला भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा, होशंगाबाद, शहडोल, मुरैना मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त संभागीय उपायुक्त मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त
अनुसूचित जाति विकास
मध्यप्रदेश

Scanned with CamScanner

कार्यालय, आयुक्त अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश
35-राजीव गाँधी भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल (म. प्र.)-462001
E-mail:cscd.bhopal@mp.gov.in/jd.scdhobpl@mp.gov.in

क्रमांक/शिक्षा-2/ज्ञानोदय/2021-22/न.क्र.166/746 भोपाल, दिनांक 3/6/2021
प्रति,

सहायक आयुक्त,
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
भोपाल, मध्यप्रदेश।

विषय:-विभागीय आवासीय विद्यालयों में CBSE पाठ्यक्रम लागू करने हेतु संबद्धता प्रदान करने के संबंध में।

--00--

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के संभागीय मुख्यालयों पर 10 ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय संचालित हैं। प्रत्येक विद्यालय 640 सीटर हैं, जिसमें कक्षा 6 वीं से 12वीं तक के बालक एवं बालिकाएं एक साथ अध्ययन करते हैं। वर्तमान में विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल का पाठ्यक्रम लागू है। 10 संभागीय मुख्यालयों पर संचालित ज्ञानोदय विद्यालय निम्नानुसार हैं:-

1. शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय, भोपाल।
2. शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय, इन्दौर।
3. शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय, ग्वालियर।
4. शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय, जबलपुर।
5. शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय, उज्जैन।
6. शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय, सागर।
7. शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय, रीवा।
8. शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय, होशंगाबाद।
9. शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय, शहडोल।
10. शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय, मुरैना।

इन विद्यालयों में आगामी शैक्षणिक सत्र 2021-22 से CBSE पाठ्यक्रम लागू किया जाना है, इस हेतु मध्यप्रदेश शासन अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। CBSE के Affiliation Bye-Laws के आधार पर वर्तमान में विद्यालयों में CBSE के मापदण्डानुसार जो कमियाँ है, उन्हें दूर किये जाने हेतु अधोसंरचना विकास की कार्यवाही की जा रही है। कृपया विभागीय आवासीय विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल के स्थान पर CBSE पाठ्यक्रम लागू करने एवं संबद्धता प्रदान करने हेतु कार्यालय आयुक्त अनुसूचित जाति विकास द्वारा अनापत्ति प्रदान की जाती है।

(संजीव सिंह) 1.6
आयुक्त
अनुसूचित जाति विकास
मध्यप्रदेश

F:\Vinod\2021-22\General_Letter_2021-22.docx

मध्यप्रदेश शासन
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 23-7/2014/57-1 भोपाल,दिनांक 10 अगस्त 2021

प्रति,

आंयुक्त
अनुसूचित जाति कल्याण विकास,
मध्यप्रदेश ।

विषय- विभागीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालयों में सीबीएसई पाठ्यक्रम की मान्यता प्राप्त करने बावत ।

संदर्भः- आपकी एकल नस्ती में प्राप्त टीप क्रमांक 6091दिनांक 16/02/2021

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित टीप का कृपया अवलोकन कीजिए । ज्ञानोदय आवासीय विद्यालयों में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल (CBSE) पाठ्यक्रम की मान्यता प्राप्त किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सचिन्द्र राव)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

पृष्ठां क्र. एफ 23-207/2014/57-1 भोपाल दिनांक अगस्त 2021

प्रतिलिपिः-

1 विशेष सहायक ,मान.मंत्री जी अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ।

2. निज सचिव,प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश् शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग